

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में-

थाना महली पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता अरुण कुमार पाण्डेय पुत्र प्रताप नरायन पाण्डेय साकिन तरयापार थाना महली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, का0 मोहन चौहान ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत छपरा मगर्वी से कालर ने मारपीट में घायल 01 व्यक्ति (1.संजय पुत्र पुनवासी ग्राम छपरा मगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्तिको ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मलौली भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ0 शुभम कुमार सिंह, आ0 शनि कुमार गौड़, हो0चा0 सोमनाथ ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 111 वाहनों से 1,17,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 111 वाहनों से 1,17,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आबकारी अधि० के मामलों में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 08.05.2025 को *मा० न्यायालय सी०जे० (एस०डी०) एफ०टी०सी० जनपद संतकबीरनगर* द्वारा 01 अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:- मु०अ०सं० 302/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मराज निषाद पुत्र नाटे निवासी धौरापार थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आबकारी अधि० के मामलों में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 08.05.2025 को *मा० न्यायालय सी०जे० (एस०डी०) एफ०टी०सी० जनपद संतकबीरनगर* द्वारा 01 अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु०अ०सं० 274/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र पुत्र राधेश्याम निवासी भैसामाफी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।